न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 196/2018

अनवान :

1. राजकुमार पुत्र रामजीलाल जाति सुथार निवासी जिगासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. गुलाबसिंह पुत्र रामजीलाल जाति सुथार निवासी जिगासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र आदू उर्फ आदराम जाति सुथार निवासी जिगासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. रोहताश पुत्र रामजीलाल जाति सुथार निवासी जिगासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. मोहनलाल पुत्र रामजीलाल जाति सुथार निवासी जिगासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. माया पुत्री रामजीलाल पत्नी मानसिंह जाति सुथार निवासी जिगासरी हाल आबाद कुसम्भी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम

उपस्थिति :-

वकील श्री मदनलाल कड़वासरा : **वादीगण**

निर्णय **दिनांक : 22.1.19**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जिगासरी बड़ी पटवार हल्का मुन्दडिया बड़ा के खाता सं0 118/118 के 185 की 2.4910 है0, खसरा सं0 200 की 3.5280 है0, खसरा सं0 297 की 4.1990 है0, खसरा सं0 308 की 4.4770 है0 कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 14.6950 है0 राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम दर्ज है।

वादीगण के दादा श्री आदराम की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के बाद वादीगण के दादा के नाम दर्ज आराजी उसके वारिसान के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण औद हो गई और प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो गई। वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की सहदायिक सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज होने के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

कारण वादीगण के हक तलफी होती है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 के बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त में है। प्रतिवादीया सं0 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 के पक्ष में मौखिक रूप से तर्क कर दिया है। प्रतिवादी सं0 1 प्रतिवादी सं0 2 व 3 के असर व प्रभाव में है और वादग्रस्त आराजी को रहन, बैय, मुन्तकिल करने पर उतारू है। अगर प्रतिवादी सं0 1 वादग्रस्त आराजी को रहन बैय मुन्तकिंल कर देता है तो वादीगण का नातिलाफी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई नहीं हो पायेगी, इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने इकबाल दावे पेश किये।

साक्ष्य वादीगण में वादी राजकुमार के बयान करवाये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जिगासरी बड़ी खाता सं0 118/118 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम जिगासरीबड़ी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खसरा परिशोधन भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम जिगासरी बड़ी सम्वत् 2056 से 59 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वादीगण के दादा आदराम की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के बाद वादीगण के दादा के नाम दर्ज आराजी उसके वारिसान के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो गई। वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की सहदायिक सम्पति है, है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। प्रतिवादीया सं0 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पक्ष में मौखिक रूप से तर्क कर दिया है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम जिगासरी बडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने वाद भूमि दादा आदराम की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसान के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज होना व वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की सहदायिक सम्पति होना अंकित किया है, जिसकी पुष्टि में वादीगण ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम जिगासरीबड़ी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादीगण के दादा आदू वल्द लेखू के नाम दर्ज है एवं प्रदर्श 5 के अनुसार वाद भूमि मु0नारायणी बेवा आदराम व रामजीलाल वल्द आदराम के नाम दर्ज हुई है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में रामजीलाल के वारिसान में 4 पुत्र राजकुमार, गुलाबसिंह, रोहताश, मोहनलाल व एक पुत्री माया होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम जिगासरी बड़ी पटवार हल्का मुन्दडिया बड़ा के खाता सं0 118/118 के 185 की 2.4910 है0, खसरा सं0 200 की 3.5280 है0, खसरा सं0 297 की 4.1990 है0, खसरा सं0 308 की 4.4770 है0 कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 14.6950 है0 राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 अकेले के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 पांचों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-1-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 196/2018

अनवान :

1. राजकुमार पुत्र रामजीलाल जाति सुथार निवासी जिगासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. गुलाबसिंह पुत्र रामजीलाल जाति सुथार निवासी जिगासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र आदू उर्फ आदराम जाति सुथार निवासी जिगासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. रोहताश पुत्र रामजीलाल जाति सुथार निवासी जिगासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. मोहनलाल पुत्र रामजीलाल जाति सुथार निवासी जिगासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. माया पुत्री रामजीलाल पत्नी मानसिंह जाति सुथार निवासी जिगासरी हाल आबाद कुसम्भी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मदनलाल कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम जिगासरी बड़ी पटवार हल्का मुन्दडिया बड़ा के खाता सं0 118/118 के 185 की 2.4910 है0, खसरा सं0 200 की 3.5280 है0, खसरा सं0 297 की 4.1990 है0, खसरा सं0 308 की 4.4770 है0 कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 14.6950 है0 राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 अकेले के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 पांचों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.1.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़